विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)
र्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली–110 108

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

Ph.EPABX - 23063800, 23063802 23063803 FAX - (91-11) 23062315, 23061726, 23061068, e-mai - dcmsmehq@nb.nic.in

5(1)/2011-MSME POL Dated 14.6.2011

विषय: - दस्तावेजों में शब्द 'लघु उद्योग' के स्थान पर शब्द 'सूक्ष्म और लघु उद्यम' के प्रतिस्थापन के संबंध में ।

लघु उद्योगों (Small Scale Industries) को पहले औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत परिभाषित किया गया था । लेकिन 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006' के कार्यान्वयन के बाद शब्दावली 'उद्योग' के स्थान पर 'उद्यम' का प्रयोग किया गया है तथा 'उद्यम' को दो श्रेणियों में अर्थात् विनिर्माण और सेवा में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों में से प्रत्येक को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006' की धारा 7 (1) में प्रदत्त है और अधिसूचना संख्या का० आ०1642(अ) दिनांक 29.09.2006 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा भी अधिसूचित किया गया है। 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006' में परिभाषित 'सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE)' को 'लघु उद्योगों' (एसएसआई) के तुल्य परिभाषित किया है।

2. 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006' के कार्यान्वयन के बाद औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के प्रावधान के अंतर्गत लघु उद्योगों के वर्गीकरण के लिए अधिसूचित प्रधान अधिसूचना संख्या का०आ० 857 (अ) दिनांक 10.12.1997 को अधिसूचना संख्या का०आ० 563(अ) दिनांक 27.2.2009 (प्रति संलग्न) द्वारा रद्द कर दिया गया है।

3. इस कार्यालय को ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रदान योजनाओं/कार्यक्रमों/ सुविधाओं/प्रोत्साहन आदि से संबंधित विधियों/नियमों/अधिसूचनाओं/दिशा निर्देशों/अनुदेशों आदि में अभी भी 'लघु उद्योग' (एसएसआई) शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है क्योंकि उपरोक्त दस्तावेज़ों में शब्द 'लघु उद्योग' को 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों' में परिवर्तित नहीं किया गया है। इस बदलाव के बारे में केन्द्र/राज्य सरकारों के सरकारी तंत्र के संचालन के स्तर पर जागरूकता के अभाव के कारण यह समस्या और बढ गई है।

4. अतः यह अनुरोध है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE) क्षेत्र को इससे संबंधित समस्याओं से बचाने के लिए उपरोक्त सभी दस्तावेज़ों की शब्दावली में आवश्यक संशोधन किया जाए।

5. इसके अलावा, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006' के कार्यान्वयन के उपरान्त, लघु उद्योग के स्थाई पंजीकरण की पूर्व में प्रचलित प्रक्रिया समाप्त हो गई है और 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम 2006' की धारा 8 के अनुसार 'उद्यमी ज्ञापन (Entrepreneurs Memorandum)' दायर करने की एक नई प्रक्रिया लागू हो गई है। लेकिन कुछ विधियों/नियमों/अधिंसूचनाओं/दिशानिर्देशों/अनुदेशों आदि के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बनी योजनाओं/कार्यक्रमों/सुविधाओं/प्रोत्साहन आदि में पात्रता के लिए अभी भी 'उद्यमी ज्ञापन (Entrepreneurs Memorandum) की अभिस्वीकृति सूचना (Acknowledgement)' के स्थान पर लघु उद्योग के स्थाई पंजीकरण को निर्धारित किया गया है। कृपया संबंधित दस्तावेजों में तदनुसार संशोधन करने की कृपा करें।

6. संक्षिप्ततः, यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त विधियों/नियमों/अधिसूचनाओं /दिशानिर्देशों/अनुदेशों आदि में शब्द 'लघु उद्योग' के स्थान पर शब्द 'सूक्ष्म और लघु उद्यम' तथा 'स्थायी लघु उद्योग पंजीकरण(Permanent SSI registration)' के स्थान पर 'उद्यमी ज्ञापन (Entrepreneurs' Memorandum) की अभिस्वीकृति सूचना (Acknowledgement)' को प्रतिस्थापित किया जाए।

कृपया, इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें ।

संलग्नकः यथोक्त

(पी०के० सिनहा)
उप निदेशक (सू०ल०म०उ० नीति)

प्रेषण : सूची के अनुसार